

**न्यायालय- मुंसिफ, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0-114/1999**

**CIS NO. TS. 202/2019**

ओमप्रकाश आर्य एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

हुस्न बानो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<b><u>DATE</u></b>	<b><u>ORDER</u></b>	<b><u>REMARKS</u></b>
<b>22.01.2025</b>	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वाद पुकार किया गया। वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 27.11.2024 को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया। आवेदन में कथन किया गया है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण की ओर से दाखिल कागजात दिनांक 26.05.2022 को न्यायालय के आदेश से प्रदर्श चिन्हित करने का आदेश पारित किया गया है। किन्तु भूलवश उक्त आदेश के तहत वादीगण के कागजातों का प्रदर्श चिन्हित नहीं हो सका है। अतः न्यायहित में आदेश दिनांक 26.05.2022 के आलोक में वादीगण के द्वारा दाखिल कागजातों को प्रदर्श करने की अनुमति दी जाय।</p> <p>प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद बहस हेतु नियत है। आदेश दिनांक 26.05.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण के द्वारा दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया गया था लेकिन भूलवश प्रदर्श अंकित नहीं हो सका है। अतः न्यायहित में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 27.11.2024 को</p>	

**न्यायालय- मुंसिफ, नरकटियागंज**  
**स्वत्व वाद सं0-114/1999**  
**CIS NO. TS. 202/2019**

ओमप्रकाश आर्य एवं अन्य.....वादीगण  
बनाम

हुस्न बानो एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<b>लगातार 22.01.2025</b>	<p>स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 26.05.2022 के आलोक में पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वादीगण की ओर से दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करें।</p> <p>वाद दिनांक 10.02.2025 वास्ते वादी बहस हेतु नियत।</p> <p style="text-align: right;">लेखापित</p> <p style="text-align: right;">मुंसिफ</p> <p style="text-align: right;">नरकटियागंज</p>	
------------------------------	---	--